प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक: 977/1996

वी. राघव राव (अब मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो , जबलपुर

निर्णय

दिनांक 05-12-2011 हेतु सूचीबद्ध

सही /-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

उपस्थिति: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक : 977/1996

अपीलार्थी: वी. राघव राव, आत्मज स्वर्गीय वी. सूर्य नारायण, आयु लगभग 50 वर्ष, वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक, दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर, निवासी 1152/3, न्यू कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, बिलासपुर (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़ राज्य)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अब मृत, वैध प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

1. श्रीमती वी. सत्यवती, विधवा स्वर्गीय वी. राघव राव, आयु लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय - गृहिणी
2. वी. श्रीधर, आत्मज स्वर्गीय वी. राघव राव, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय - नौकरी
3. वी. विजय, आत्मज स्वर्गीय वी. राघव राव, व्यवसाय - पेशा (अधिवक्ता)। सभी निवासी 'आशियाना' 33/38ए, रेलवे पंप हाउस के पास, टिकरापारा, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो , जबलपुर

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दाण्डिक अपील।

उपस्थिति: अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव।

प्रत्यर्थी/सी.बी.आई. की ओर से स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी।

<u>निर्णय</u>

(5 दिसंबर, 2011 को उद्घोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी वी. राघव राव द्वारा प्रस्तुत यह वर्तमान अपील, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.), जबलपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 29/93, में पारित निर्णय दिनांक 21 मई, 1996 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अत: पश्चात 'अधिनियम, 1988' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 और 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) के तहत दोषसिद्ध किया है और एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा

दो हजार रुपये का जुर्माना और दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा, क्रमशः सुनाई गई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर, के व्यतिक्रम पर अभियुक्त/अपीलार्थी को क्रमशः छह माह और एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त/अपीलार्थी वी. राघव राव की मृत्यु **26.9.2005** को हो गई और उनके विधिक प्रतिनिधियों ने मृतक/अपीलार्थी के स्थान पर प्रतिस्थापन और अपील को जारी रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **394(2)** के तहत आवेदन दायर किया। आदेश दिनांक **4-4-2011** द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने का आदेश दिया गया और उन्हें अपील जारी रखने की अनुमति दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है:

अभियुक्त वर्ष **1991-92** के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक **(**डी.आर .एम **)** कार्यालय, बिलासपुर में वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। परिवादी हीरालाल **(**अ.सा .क्र.**-3)** ने **27.8.92** को उप पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, जबलपुर के समक्ष एक परिवाद **(**प्रदर्श पी**/2)** दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु उसकी चिकित्सा परीक्षा के कागजात तैयार करने और आगे भेजने के बदले में **1,000** रुपये की रिश्वत की मांग की थी।एन.के. दुबे, उप पुलिस अधीक्षक, सीबीआई ने परिवाद को आवश्यक कार्रवाई और ट्रैप कार्यवाही आयोजित करने हेतु निरीक्षक विनय कुमार **(**अ.सा.क्र.**-6)** को अग्रेषित कर दिया। विनय कुमार

(अ.सा.क्र.-6) ने दो पंच गवाहों ए.ए. खान (अ.सा.क्र.-4) और वी.के. श्रीवास्तव (अ.सा.क्र. -5) को बुलाया।एक ट्रैप-पूर्व प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। उसमें एक सादा कागज डुबोने पर घोल का रंग नहीं बदला। इसके बाद, फेनोल्फथैलिन पाउडर लगा हुआ एक अन्य कागज का टुकड़ा पुनः सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। ट्रैप-पूर्व कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी/3 के रूप में तैयार किया गया। प्रदर्शन देने के बाद, परिवादी हीरालाल (अ.सा.क्र.-3) को 1,000 रुपये के मुद्रा नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परिवादी ने 50 रुपये के मूल्यवर्ग में 1,000 रुपये के नोट प्रस्तुत किए। नोटों के नंबर नोटों की संख्या को पूर्व-ट्रैप पंचनामा में दर्ज किया गया। नोटों को प्रस्तुत करने के बाद, उन पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया और नोटों को परिवादी हीरालाल (अ.सा.क्र.-3) की जेब में रख दिया गया। परिवादी और वी.के. श्रीवास्तव (अ.सा.क्र-5) को सूचित किया गया और निर्देशित किया गया कि ट्रैप की व्यवस्था कैसे की जाएगी और ट्रैप की कार्यवाही में उन्हें क्या भूमिका निभानी होगी। पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी/3) तैयार करने और पूर्व-ट्रैप कार्यवाही की व्यवस्था करने के बाद, ट्रैप दल अभियुक्त के घर के लिए रवाना हुआ।परिवादी हीरालाल (अ.सा.क्र-3) और वी.के. श्रीवास्तव (अ.सा.क्र-5) को ट्रैप दल द्वारा रिश्वत देने के लिए अभियुक्त के घर जाने को कहा गया और ट्रैप दल के सदस्य घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए अभियुक्त के घर के आसपास विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो गए। परिवादी हीरालाल (अ.सा.क्र-3) ने अभियुक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को **1,000/-** रुपये **(50/-** रुपये के मूल्यवर्ग के **20** नोट**)** दिए। अभियुक्त ने रुपयों को अपने कुर्ते की जेब में रख लिया**।** ट्रैप का संकेत मिलते ही, ट्रैप दल के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और अभियुक्त के हाथ पकड़ लिए। ट्रैप दल ने अभियुक्त के पास से मुद्रा नोट जब्त किए। अभियुक्त से जब्त किए गए नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व-ट्रैप पंचनामा **(**प्रदर्श पी**/3)** में उल्लिखित नंबरों से किया गया, जो समान पाए गए। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अभियुक्त का दाहिना हाथ उस घोल में धुलवाया गया, जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया। तत्पश्चात, घोल को एक दूसरी बोतल में भरकर सील कर दिया गया।सोडियम कार्बोनेट का एक अन्य घोल तैयार किया गया, जिसमें अभियुक्त के कुर्ते की जेब को डुबोया गया, जिसका रंग भी बदलकर गुलाबी हो गया। इसके बाद, उस घोल को दूसरी बोतल में भरकर सील कर दिया गया। अभियुक्त का कुर्ता जब्त कर लिया गया और मुद्रा नोट भी जब्त कर लिए गए। तत्पश्चात, सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया, जिसमें परिवादी के हाथ धुलवाए गए, जिसका रंग गुलाबी हो गया। उस घोल को भी एक अन्य बोतल में भरकर सील कर दिया गया। मौके पर ही ट्रैप-पंचनामा तैयार किया गया। प्रदर्श पी**/5** के माध्यम से परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** से तीन पासपोर्ट आकार के फोटो और कागजातों का बंडल जब्त किया गया। अभियुक्त की अलमारी की तलाशी ली गई और सुसंगत दस्तावेज जब्त किए गए तथा प्रदर्श पी**/7** के माध्यम से एक तलाशी सूची तैयार की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तत्पश्चात, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) दर्ज की गई। सीलबंद घोल और अन्य जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-28) प्राप्त हुई। रिपोर्ट (प्रदर्श पी-28) में यह उल्लेख किया गया कि फेनोल्फथेलिन का परीक्षण धनात्मक पाया गया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति (प्रदर्श पी-1) प्राप्त करने के पश्चात , विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई., जबलपुर के समक्ष उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान विशेष न्यायाधीश, जबलपुर ने अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d)/13(2) के तहत आरोप विरचित किए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है।

4. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य द्वारा अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध करने में विफल रहा है, जो कि अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d)/13(2) के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसे सिद्ध करने के लिए,

अभियुक्त के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि घटना के समय, अभियुक्त का स्थानांतरण हो चुका था और उसने अपने कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया था तथा उसे नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था।अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व अभियोजन के लिए यह संतुष्ट और स्थापित करना आवश्यक है कि अधिनियम **1988** की धारा **7** और **13(1)(d)/13(2)** के सभी तत्व पूर्ण होते हैं। हीरालाल **(अ.सा.क्र-3)** का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा है। राशि की बरामदगी भी संदिग्ध है। एक स्थान पर, हीरालाल **(अ.सा.क्र -3)** ने यह बयान दिया कि राशि अभियुक्त की कमीज से बरामद की गई थी और दूसरे स्थान पर, उसने बयान दिया कि राशि अभियुक्त के कुर्ते की जेब से बरामद की गई थी। बरामदगी की तिथि और समय भी विरोधाभासी हैं। हीरालाल **(अ.सा.क्र-3)** का साक्ष्य अविश्वसनीय है और उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अभियोजन द्वारा धन की मांग सिद्ध नहीं की गई थी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है। उन्होंने **महमूद खान महबूब खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 10 SCC 600** और **मीना (श्रीमती) पत्नी बलवंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2000) 5 SCC 21** के न्यायदृष्टांतों पर अवलंब लिया हैं।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अभियुक्त से रिश्वत की राशि बरामद की गई थी। अभियुक्त का दाहिना हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया था, जिसका रंग गुलाबी हो गया था। अभियुक्त के कुर्ते की जेब को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया था, जिसका रंग भी गुलाबी हो गया था। अभियुक्त द्वारा राशि की स्वीकृति विवादित नहीं है, इसलिए अधिनियम, **1988** की धारा **20** के तहत अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा बनती है। अतः अभियुक्त दोषसिद्धि का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात यह निर्धारित किया कि अभियुक्त ने परिवादी से उसकी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मेडिकल टेस्ट फॉर्म जारी करने के उद्देश्य से **1,000/-** रुपये की मांग की थी, जो कि अवैध परितोषण है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को अधिनियम, **1988** की धारा **7** और **13(1)(d)/13(2)** के तहत दोषसिद्ध किया है।

7. निरीक्षक विनय कुमार **(**अ.सा.क्र**-6)** ने साक्ष्य दिया कि दिनांक **27.8.92** को वह एन.के. दुबे, पुलिस उपअधीक्षक के साथ आनंद होटल, बिलासपुर में ठहरे हुए थे। उसी दिन, परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** वहां आया और उसने पुलिस उपअधीक्षक एन.के. दुबे को अपना परिवाद **(**प्रदर्श **P-2)**

प्रस्तुत किया **।** एन.के. दुबे ने परिवाद **(**प्रदर्श **P-2)** उन्हें अग्रेषित कर दी। उस समय परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** वहां उपस्थित था। उन्होंने हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** से उसकी शिकायत के संबंध में पूछताछ की, ए.ए. खान **(**अ.सा.क्र**-4)** और वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र**-5)** को बुलाया और उनका परिचय परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** से कराया। तत्पश्चात, साक्षियों ने परिवादी के परिवाद **(**प्रदर्श **P-2)** को पढ़ा।

इसके पश्चात, ट्रैप की कार्यवाही आयोजित की गई। एक पूर्व-ट्रैप प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। उस घोल में एक कागज डुबोया गया, लेकिन घोल का रंग नहीं बदला। तत्पश्चात, फिनोल्फथैलिन पाउडर लगा हुआ एक अन्य कागज का टुकड़ा उस घोल में डुबोया गया, जिसका रंग गुलाबी हो गया।पूर्व-ट्रैप पंचनामा प्रदर्श पी**/3** के रूप में तैयार किया गया। प्रदर्शन देने के उपरांत, परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** को **1,000/-** रुपये के करेंसी नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परिवादी ने **1,000/-** रुपये **(50/-** रुपये के मूल्यवर्ग के **20** नोट**)** प्रस्तुत किए, जिन पर फिनोल्फथैलिन पाउडर लगाया गया और उसके बाद उक्त नोटों को परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र**-3)** की जेब में रख दिया गया। परिवादी को सूचित किया गया और निर्देशित किया गया कि ट्रैप की व्यवस्था कैसे की जाएगी और ट्रैप की कार्यवाही के दौरान उसे क्या भूमिका निभानी होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हीरालाल **(अ.सा.क्र-3)** ने बयान दिया कि उसके पिता की मृत्यु **13-3-1992** को हुई थी। उसके पिता की मृत्यु उनकी सेवा अवधि के दौरान हुई थी। अपने पिता की मृत्यु के **15** दिनों के बाद, उसने पीडब्लूआई कार्यालय, बालोद में रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्रस्तुत करने के लगभग डेढ़ महीने बाद, उसे वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर के कार्यालय से साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र प्राप्त हुआ। साक्षात्कार में उपस्थित होने के बाद, उसे **12-8-1992** को रोजगार से संबंधित एक पंजीकृत लिफाफा प्राप्त हुआ।रोजगार से संबंधित उक्त लिफाफा प्राप्त होने के बाद, वह डीपीओ कार्यालय, बिलासपुर गया और वहां आरोपी राघव राव से मिला। रोजगार से संबंधित कागजात दिखाने पर, उसने उसे बताया कि उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, और उसके बाद ही उसे रोजगार मिलेगा। आरोपी ने उससे कहा कि चिकित्सा संबंधी कागजात उसके द्वारा दिए जाएंगे और चिकित्सा कागजात प्राप्त करने के लिए उसे **1,000/-** रुपये देने होंगे। उसने आरोपी से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह एक गरीब व्यक्ति है। वह चिकित्सा कागजात प्राप्त करने के लिए आरोपी के घर गया था। आरोपी ने पुनः पैसों की मांग की और उससे कहा कि पैसे देने पर ही वह उसे चिकित्सा कागजात देगा। आरोपी ने उसे उस दिन शाम **7** बजे अपने घर पर **1,000/-** रुपये लेकर आने को कहा और कहा कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रकम प्राप्त करने के बाद, वह चिकित्सा कागजात दे देगा और उसका सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। वह अभियुक्त को पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए, उसने प्रदर्श पी-**2** के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **(**सीबीआई**)** में एक परिवाद दर्ज कराई। सीबीआई के कर्मचारी उससे आनंद होटल, बिलासपुर में मिले थे। सीबीआई कर्मी दुबे, पांडेय और अन्य उससे वहां मिले थे। उसका परिवाद प्राप्त होने पर, सीबीआई कर्मियों ने दो साक्षियों को बुलाया था। साक्षियों में से एक श्रीवास्तव था और दूसरा खान था। उसका परिचय दोनों साक्षियों से कराया गया। उसका परिचय सीबीआई के अन्य कर्मियों से भी कराया गया। उसका परिवाद दोनों साक्षियों को उसके अवलोकन हेतु दी गई थी। परिवाद का अवलोकन करने के पश्चात, साक्षियों ने उससे मांग के संबंध में पूछताछ की थी। उसने उन्हें अभियुक्त द्वारा **1,000/-** रुपये की रिश्वत मांगे जाने के बारे में बताया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ए.ए. खान **(**अ.सा.क्र-**4)** ने यह कथन दिया कि दिनांक **27-8-1992** को, उन्हें उनके मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किसी आवश्यक कार्रवाई के संबंध में आनंद होटल, बिलासपुर में ठहरे हुए सीबीआई कर्मियों से मिलने हेतु निर्देशित किया गया था। मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्देशों के अधीन, वह और वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** आनंद होटल, बिलासपुर गए और कमरा नंबर **58** में सीबीआई टीम से मिले। वहां उनकी मुलाकात सीबीआई कर्मियों, दुबे, बिनय कुमार, चौहान और अन्य से हुई। वह वहां परिवादी हीरालाल से भी मिले।

सीबीआई कर्मियों ने उन्हें वहां बताया कि अभियुक्त राघव राव ने चिकित्सक कागजात देने के बदले परिवादी से **1,000/-** रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसलिए, उन्हें उनके साथ जाने और एक स्वतंत्र साक्षी की भूमिका निभाने की आवश्यकता थी। सीबीआई कर्मी बिनय कुमार ने उन्हें परिवादी द्वारा किया गया परिवाद दिखाया। परिवाद का अवलोकन करने के बाद, उन्होंने परिवादी से उक्त परिवाद के बारे में पूछताछ की।परिवादी ने उन्हें बताया कि अभियुक्त ने चिकित्सा कागजात देने के बदले उससे रिश्वत की मांग की थी और इसलिए, उसने प्रदर्श पी-**2** के माध्यम से परिवाद दर्ज किया। बिनय कुमार द्वारा पूछे जाने पर, परिवादी ने **50/-**रुपये मूल्यवर्ग के **20** मुद्रा नोट प्रस्तुत किए, जिनकी संख्या पंचनामा में दर्ज की गयी थी। तत्पश्चात, उन मुद्रा नोटों पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया। सोडियम कार्बोनेट के घोल का प्रदर्शन और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिनोलफ्थलीन पाउडर का घोल बनाया गया था। उस घोल का रंग गुलाबी हो गया था। उस घोल को एक खाली बोतल में सील कर दिया गया था। उस घोल को वस्तु 'जी ' के रूप में नामित किया गया था। फिनोलफ्थलीन पाउडर लगे हुए मुद्रा नोटों को परिवादी की कमीज की ऊपर वाली जेब में रखा गया था। परिवादी को यह कहा गया था कि जब तक अभियुक्त उनकी मांग न करे, तब तक वह उन नोटों को स्पर्श न करे। वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5),** जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा

आनंद होटल, बिलासपुर में ठहरे हुए सीबीआई कर्मियों से मिलने का निर्देश दिया गया था, उन्होंने भी इसी प्रकार कथन किया **।**

10. बिनय कुमार **(**अ.सा.क्र-**6)** ने कथन किया कि उन्होंने हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** और वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** को अभियुक्त से मिलने के लिए निर्देशित किया था। हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** और वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** अभियुक्त के घर गए। वे अभियुक्त के घर पहुँचे और घर के आस-पास फैल गए। उन्होंने आगे यह कथन दिया कि उन्होंने ए.ए. खान **(**अ.सा.क्र-**4)** को अभियुक्त के घर की खिड़की के पास रहने और अभियुक्त तथा परिवादी हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** के बीच होने वाली बातचीत को सुनने का प्रयास करने का निर्देश दिया था**।** उन्होंने आगे यह भी कहा कि हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** और वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** अभियुक्त के घर में दाखिल हुए और कुछ समय पश्चात, वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** अभियुक्त के घर से बाहर आए और अपना सिर खुजलाकर प्रतीक्षा कर रही ट्रैप-टीम को संकेत प्रेषित किया**।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वी.के. श्रीवास्तव **(**अ.सा.क्र-**5)** ने कथन दिया कि ट्रैप-टीम के सदस्यों द्वारा उन्हें और हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** को रिश्वत की राशि देने के लिए अभियुक्त के घर जाने को कहा गया था और हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** के तीन छायाचित्र उनकी जेब में रखे गए थे। वे एक रिक्शे से अभियुक्त के घर गए। अभियुक्त के घर में प्रवेश करने के बाद, हीरालाल **(**अ.सा.क्र-**3)** ने

अपने तीन छायाचित्र और **1,000/-** रुपये अभियुक्त को दिए। अभियुक्त ने अपने दाहिने हाथ से पैसे लिए और उन्हें अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और तत्पश्चात उसने हीरालाल **(अ.सा.क्र-3)** से कहा कि उसका काम हो जाएगा। संकेत प्राप्त होने के बाद, निरीक्षक बिनय कुमार **(अ.सा.क्र-6),** अन्य सीबीआई कर्मी और ए.ए. खान **(अ.सा.क्र-4)** वहां पहुँचे और अभियुक्त के हाथ पकड़ लिए। सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया और अभियुक्त का दाहिना हाथ उस घोल में धुलाया गया, जिसका रंग गुलाबी हो गया। वह घोल एक बोतल में रखा गया और उसे सील कर दिया गया। मुद्रा नोटों को जब्त किया गया और उनकी संख्या की तुलना पूर्व-ट्रैप पंचनामा **(प्रा.-पी/3)** में उल्लिखित संख्या से की गई, जो समान पाए गए। आरोपी के कुर्ते की दाहिनी जेब को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया, जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया। उस घोल को एक अन्य बोतल में रखकर सील कर दिया गया। बिनय कुमार **(अ.सा.क्र-6)** ने अपने कथन के पैरा **3** और **4** में इसी प्रकार के कथन दिए और ए.ए. खान **(अ.सा.क्र-4)** ने भी इसी तरह कथन दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वी. कोटेश्वर राव **(प्रा.सा.-1)** ने कथन दिया कि अगस्त, **1992** में अभियुक्त, वरिष्ठ डी.पी.ओ., दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर के कार्यालय में कल्याण निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। अगस्त **1992** के महीने में, लगभग शाम **6:45** बजे, वह आरोपी के घर गया था। उस समय अभियुक्त कार्यालय से घर नहीं लौटा था। उसकी अभियुक्त की पत्नी से कुछ बातचीत हुई। कुछ समय बाद, अभियुक्त घर

आया और उसने बताया कि उसको ठीक नहीं लग रहा है और फ्रेश होने के बाद वह घर के बगीचे में चला गया। उसने और कथन किया कि कुछ समय बाद उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। जब वह बाहर आया, तो उसने देखा कि दो व्यक्तियों ने अभियुक्त के हाथ पकड़ रखे थे। पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि वे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी हैं और उन्होंने आरोपी के विरुद्ध ट्रैप बिछाया है।

13.अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि **27-8-1992** को अभियुक्त संबंधित कार्यालय में पदस्थ नहीं था और उसका स्थानांतरण हो चुका था तथा उसे नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वहां से कार्यमुक्त कर दिया गया था, इसलिए आरोपी परिवाद का काम करने और उसके पक्ष में कोई चिकित्सा परीक्षण फॉर्म जारी करने के लिए सक्षम नहीं था। यह तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **धनेश्वर नारायण सक्सेना बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1962 एस सी 195** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

"3. ..... "इस प्रावधान के तहत अपराध, अपने कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक अवचार से गठित होता है। अतः, इसके लिए यह...

अपराध कारित होने के लिए यह आवश्यक है कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार किया गया हो। दूसरे शब्दों में, लोक सेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य के संबंध में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए और उसके माध्यम से भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या अन्यथा अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए धन प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई लोक सेवक किसी अन्य लोक सेवक को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति से धन लेता है और उसमें अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में अवचार का कोई प्रश्न नहीं है, तो वह कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा **161** के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **5(1)(d)** के साथ पठित धारा **5(2)** के तहत अपराध नहीं होगा। धारा **5(1)(d)** के साथ पठित धारा **5(2)** के तहत अपराध का सार यह है कि लोक सेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में कुछ ऐसा करना चाहिए और उसके द्वारा भ्रष्ट या अवैध साधनों से या अन्यथा अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। धारा **5(1)(d)** में प्रयुक्त शब्द "अपने कर्तव्य के निर्वहन में" के साथ पढ़े जाने वाले शब्द "अन्यथा अपने पद का दुरुपयोग करके" यह स्पष्ट करते हैं कि उस धारा के तहत अपराध के लिए यह आवश्यक है कि लोक सेवक अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में अवचार करे।....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **दलपत सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 17** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **5(1)** में

आने वाले शब्द "अपने कर्तव्य के निर्वहन में" उक्त अधिनियम की धारा **5(1)(d)** के तहत अपराध का अनिवार्य घटक नहीं हैं। धारा **5(1)(d)** के तहत अपराध के घटक इस प्रकार हैं: **(1)** कि अभियुक्त एक लोक सेवक होना चाहिए, **(2)** कि उसे कुछ भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग करना चाहिए या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करना चाहिए, **(3)** कि उसे कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए और **(4)** वह स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए।इसलिए, धारा **5(1)(d)** के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि परिवाद किए गए कृत्य अभियुक्त द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए थे। अतः, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्तों ने अवैध साधनों द्वारा या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए धन या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपराधिक अवचार का अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि अधिनियम, **1988** की धारा **13(1)(d)** सहपठित धारा **13(2)** के तहत किसी अपराध का सार यह है कि लोक सेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य के संबंध में कुछ करना चाहिए और उसके द्वारा कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह धारण करना भी त्रुटिपूर्ण है कि अधिनियम, **1988** की धारा **13(1)(d)** सहपठित धारा **13(2)** के तहत अपराध का सार यह है कि लोक सेवक को अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन में

कुछ करना चाहिए और उसके द्वारा कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह आवश्यक है कि एक अभियुक्त व्यक्ति ने, स्वयं को अवचारित करते समय, कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया हो और उसके द्वारा कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो। वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्त बिलासपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के भर्ती अनुभाग में कल्याण निरीक्षक के रूप में पदस्थ था और परिवादी अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए उससे चिकित्सा परीक्षण फॉर्म प्राप्त करने के उद्देश्य से पहले उससे मिला था। इस स्थिति में, भले ही अभियुक्त का स्थानांतरण बिलासपुर रेलवे के भर्ती अनुभाग से नए पदस्थापन स्थान पर हो गया होता, फिर भी परिवादी इस प्रभाव और विश्वास में था कि अभियुक्त चिकित्सा परीक्षण प्रपत्र जारी करने से संबंधित उसका कार्य कर सकता है और इसलिए, परिवादी उक्त उद्देश्य के लिए उससे मिला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह स्पष्ट है कि परिवादी हीरालाल **(अ.सा.क्र.-3)**, वी.के. श्रीवास्तव **(अ.सा.क्र.-5)** के साथ अभियुक्त के घर गया था। वी.के. श्रीवास्तव **(अ.सा.क्र.-5)** ने प्रतीक्षा कर रही ट्रैप-टीम को संकेत प्रेषित किया और ट्रैप-टीम ने संकेत प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त के हाथ पकड़ लिए। अभियुक्त के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने के उपरांत, फेनोल्फ्थेलिन का परीक्षण सकारात्मक पाया गया। अभियुक्त की जेब से मुद्रा नोट भी बरामद किए गए और उनके नंबरों की तुलना पूर्व-ट्रैप पंचनामा **(प्रदर्श पी-3)** में उल्लिखित नंबरों से की गई, जो समान पाए गए।

18**. एम. नरेन्गा राव बनाम राज्य (आंध्र प्रदेश), (2001) 1 SCC 691 में,** माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार प्रेक्षण किया:

"22. रघुबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, **(1974) 4 SCC 560** में, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए यह प्रेक्षण किया कि,एक सहायक स्टेशन मास्टर के पास से चिह्नित मुद्रा बरामद होने का तथ्य, जबकि उस पर रिश्वत मांगने और प्राप्त करने का आरोप हो, अपने आप में स्वयं प्रमाण है के समान है।इस संदर्भ में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ **(**न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया और न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी**)** के हजारी लाल बनाम राज्य **(**दिल्ली प्रशासन**), (1980) 2 SCC 390** के निर्णय का उपयोगी संदर्भ लिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उस मामले में एक पुलिस कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1947** की धारा **5(2)** के तहत इस आरोप में दोषी ठहराया गया था कि उसने श्रीराम जिसे उस मामले में अ.सा.क्र. **3** के रूप में परीक्षित किया गया था से **60** रुपये की मांग की और प्राप्त किए।विचारण न्यायालय में, अ.सा.क्र. **3** अपने पिछले बयान से पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे 'पक्षद्रोही' घोषित कर दिया गया। हालांकि, अ.सा.क्र.**8** सहित आधिकारिक साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि की। न्यायालय ने पाया कि पुलिस कांस्टेबल की जेब से फेनोल्फथेलिन-लगी मुद्रा बरामद हुई थी। उक्त मामले में यह दलील दिया गया था कि पुलिस कांस्टेबल द्वारा रिश्वत मांगने या स्वीकार करने को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, केवल चिह्नित मुद्रा की बरामदगी के आधार पर **1947** के

अधिनियम की धारा **4** के तहत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। उक्त दलील का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी ने **(**दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए**)** निम्नानुसार प्रेक्षण किया**: (**एस सी सी पृष्ठ **396,** पैरा **10)**

"यह आवश्यक नहीं है कि धन का लेन-देन को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जाए। इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। वर्तमान मामले में एक के बाद एक तेजी से घटी घटनाएं केवल इसी निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि धन अभियुक्त द्वारा अ.सा.क्र.**3** से प्राप्त किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा **114** के तहत, न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है जो उसे घटित होना संभावित लगता है, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम, मानवीय आचरण और सार्वजनिक व निजी व्यवसाय के संबंध में मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा **114** के दृष्टांतों में से एक यह है कि–न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि एक व्यक्ति, जिसके पास चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान पाया जाता है,

या तो वह चोर है या उसने चोरी की संपत्ति यह जानते हुए प्राप्त की है कि वह चोरी की है, जब तक कि वह कब्जे को अन्यथा साबित ना कर दे **।** इसी प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि जिस अभियुक्त ने अपनी जेब से मुद्रा नोट निकालकर दीवार के पार फेंक दिए थे, उसने उन्हें अ.सा.क्र.**3** से प्राप्त किया था, जिसके बारे में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुछ ही मिनटों पहले यह दर्शाया गया था कि नोट उसके कब्जे में थे।एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि अभियुक्त ने अ.सा.क्र.**3** से धन प्राप्त किया था, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **4(1)** के तहत उपधारणा तत्काल आकर्षित हो जाती है। यह उपधारणा निश्चित रूप से खंडनीय है, लेकिन वर्तमान मामले में उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अतः, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को सही रूप में दोषसिद्ध ठहराया गया था।"

25. "अतः, हम विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि अभियोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी ने अ.सा.क्र **1** से परितोषण प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में, न्यायालय यह विधिक उपधारणा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है कि ऐसा परितोषण सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के प्रतिफल या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया गया था। निस्संदेह, अपीलार्थी ने दो तरीकों से उक्त उपधारणा का खंडन करने का गंभीर प्रयास किया। एक तरीका था अ.सा.क्र**1** और अ.सा.क्र**2** से अपीलार्थी के पक्ष में गवाही दिलवाना था और दूसरा बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षियों की परीक्षा करना था। यह सत्य है कि अ.सा.क्र**1** और अ.सा.क्र**2** ने अपीलार्थी की सहायता की। बचाव पक्ष के दो साक्ष्यों ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी उस तिथि को स्टेशन पर उपस्थित नहीं था जब अ.सा.क्र**1** द्वारा कथित मांग की गई थी। परंतु विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है और ऐसा निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुदृढ़ एवं ठोस तर्कों पर आधारित है। दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

19. टी. शंकर प्रसाद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2004) 3 SCC 753 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार प्रेक्षण किया:

"**8.** प्रतिद्वंद्वी पक्षों के तर्कों को विवेचन के लिए अधिनियम की धारा **20(1)** को उद्धृत करना उचित होगा, जो सार और तत्व में पिछले **1947** के अधिनियम की धारा **4(1)** के समान ही है और जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. (1) जहाँ लोक सेवक द्वारा वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत किया जाता है, वहाँ उपधारणा **– (1)** जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा **161** या धारा **165** के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण में, या इस अधिनियम की धारा **5** की उप-धारा **(1)** के खंड **(क)** या खंड **(ख)** में निर्दिष्ट किसी अपराध के विचारण में, यह सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कोई परितोषण **(**वैध पारिश्रमिक को छोड़कर**)** या कोई मूल्यवान वस्तु किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत की है या प्राप्त की है, अथवा स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने वह परितोषण या मूल्यवान वस्तु, यथास्थिति, उक्त धारा **161** में

वर्णित हेतु या प्रतिफल के रूप में, अथवा बिना प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह अपर्याप्त जानता है, स्वीकार की है या प्राप्त की है।

9. आगे बढ़ने से पहले, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि "उपधारणा कर सकेगा" और "उपधारणा करेगा" पदों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **4** में परिभाषित किया गया है। पूर्ववर्ती श्रेणी के अंतर्गत आने वाली उपधारणाओं को सामूहिक रूप से "तथ्यात्मक उपधारणा" या "विवेकाधीन उपधारणा" के रूप में जाना जाता है और बाद वाली श्रेणी को "विधिक उपधारणा" या "अनिवार्य उपधारणा" के रूप में जाना जाता है। जब **1947** के अधिनियम की धारा **4(1)** और अधिनियम की धारा **20** में "उपधारणा की जाएगी" पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ 'अनिवार्यता' के समान ही होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जब उप-धारा 'विधिक उपधारणा' से संबंधित होती है, तो इसे टेरोरम के रूप में समझा जाना चाहिए, अर्थात एक 'आदेश' के स्वर में कि यह उपधारणा करनी ही होगी कि अभियुक्त ने किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने आदि के बदले हेतु या प्रतिफल के रूप में परितोषण प्रतिग्रहीत किया है, यदि धारा के पूर्ववर्ती भाग में परिकल्पित शर्त पूरी होती है। **1947** के अधिनियम की धारा **4** के तहत ऐसी विधिक उपधारणा करने की एकमात्र शर्त यह है कि विचारण के दौरान यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने कोई परितोषण प्रतिगृहीत किया है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है। धारा यह नहीं कहती है कि उक्त शर्त प्रत्यक्ष साक्ष्य के

माध्यम से ही संतुष्ट होनी चाहिए। इसकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह सिद्ध होना चाहिए कि अभियुक्त ने प्रतिगृहीत किया है

परितोषण प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ हैं **।** प्रत्यक्ष साक्ष्य उन माध्यमों में से एक है जिसके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन साक्ष्य अधिनियम में परिकल्पित केवल यही एक मात्र माध्यम नहीं है। **(**देखें: एम. नरसिंग राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, **(2001) 1 SCC 691)"**

20. **'राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व सी बी आई , हैदराबाद बनाम जी. प्रेम राज, (2010) 1 SCC 398'** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेक्षण किया की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"20. इस मोड़ पर, हमें यह भी व्यक्त करना चाहिए कि कैसे उच्च न्यायालय द्वारा उपधारणा की पूरी तरह से अनदेखी की गई। अधिनियम की धारा **20** प्रावधान करती है:

"20. जहाँ लोक सेवक वैध पारिश्रमिक के भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहाँ उपधारणा **– (1)** जहाँ, धारा **7** या धारा **11** या धारा **13** की उपधारा **(1)** के खंड **(**क**)** या खंड **(**ख**)** के अधीन दंडनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी वयक्ति से **(**वैध पारिश्रमिक से भिन्न**)** कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है; वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए यह उपधारणा

की जाएगी कि उसने, यथास्थिति ,उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा **7** में वर्णित हैं,या यथास्थिति,प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता हैं, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया हैं अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ हैं या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

(2) [सुसंगत नहीं।**]**

(3) उपधारा **(1)** और **(2)** में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इनकार कर सकेगा, यदि पूर्वोक्त परितोषण या चीज उसकी राय में इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता **।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह तर्क दिया गया था, यद्यपि निर्बल रूप से, कि उपधारणा नहीं की जा सकती थी क्योंकि इस मामले में आरोप अधिनियम की धारा **13(1)(d)** के साथ सहपठित धारा **13(2)** के तहत था।

21**.** प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया था कि अधिनियम की धारा **13(1)(d)** के अंतर्गत, अधिनियम की धारा **20** के अधीन आने वाली 'उपधारणा' लागू नहीं होती है। प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस तथ्य की अनदेखी की जा रही है, वह यह है कि आरोप न केवल धारा **13(1)(d)** के अंतर्गत था, बल्कि अधिनियम की धारा **7** के अंतर्गत भी था। अधिनियम की धारा **7** निम्नवत है:

"7. लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना– जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न, किसी प्रकार का कोई भी परितोषण इस बात के करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में , किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने को कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाये या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी विधान -मंडल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कम्पनी मेंया किसी लोक सेवक के यहाँ , चाहे वह नामित हो या नहीं , किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे,वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ***सुब्बू सिंह बनाम राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से (2009) 6 SCC 462*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि धन की मांग रिश्वत के रूप में की गई थी और वही धन अ.सा.क्र. 2 से प्राप्त किया गया था, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 प्रभावी हो जाती है। एक बार जब धारा 20 के अंतर्गत परिकल्पित उपधारणा स्थापित हो जाती है, तो यह अपीलार्थी का

उत्तरदायित्व है कि वह यह प्रमाणित करे कि प्राप्त राशि रिश्वत के रूप में नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि अ.सा.क्र.**26** और अन्य अधिकारियों के घर में प्रवेश करने से पहले अपीलार्थी कुछ समय के लिए अपने कमरे में मुद्रा नोटों के साथ अकेला था। अत:, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रेक्षण किया गया है, अपीलार्थी द्वारा दाहिने हाथ की सहायता से धन गिनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

22. वर्तमान मामले में, अभियुक्त के पास से **1,000/-** रुपये के मुद्रा नोट बरामद किए गए थे और उनके संख्या की तुलना पूर्व-ट्रैप पंचनामा **(**प्रा.पी **-3)** में उल्लिखित संख्या से की गई थी, जो समान पाए गए। अभियुक्त ने अपने पास से धन की बरामदगी के संबंध में कोई उचित और विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त से धन बरामद किया गया था, इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उसके विरुद्ध यह उपधारणा की जा सकती है कि उसने अवैध परितोषण की मांग की और उसे प्रतिगृहीत किया। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय विधिक रूप से यह विधिक उपधारणा करने के लिए बाध्य है कि ऐसा परितोषण सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. मैंने अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों का अवलोकन किया है, हालांकि, मेरा यह मानना है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में सुसंगत नहीं हैं।

24. पूर्वोक्त कारणों से, मेरी यह सुविचारित राय है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य पर आधारित है। मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली है।

25. अतः, आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है।

सही /-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Kokila sharma